

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
पत्रांक-02/सिरीज-05/2015 परि0

प्रेषक,

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)।

पटना, दिनांक

विषय : कार्यालय पर निजी वाहनों के निबंधन हेतु नया निबंधन सिरीज का आवंटन के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1665 दिनांक-03.06.2017 के प्रसंग में कहना है कि कार्यालय पर कार्यालय पर निजी वाहनों के निबंधन हेतु नया निबंधन सिरीज **BR-05W** प्रारंभ करने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि वर्तमान चालू सिरीज **BR-05V** में 9999 वाहनों का निबंधन पूर्ण होने के पश्चात् ही इस सिरीज के अंतर्गत निबंधन प्रारम्भ किया जाएगा। इस आवंटित सिरीज में मालवाहक एवं व्यावसायिक वाहनों का निबंधन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

साथ ही निदेश दिया जाता है कि आपके जिले में निबंधित डीलर प्वाइंट की सूची (नाम, पता, ऑथराइजेशन नं० एवं उनका दूरभाष सं०) विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय एवं सिरीज अधियाचना में चालू सिरीज में निबंधित वाहनों तथा निर्गत निबंधन स्मार्टकार्ड की सूचना अवश्य भेजी जाय अन्यथा आपके कार्यालय को निबंधन संख्या का आवंटन रोक दिया जाएगा।

विश्वासभाजन,

ह०/-

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 02/सिरीज-05/2015 परि0 3107 पटना दिनांक- 13/6/17
प्रतिलिपि:-राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, NIC, Bihar, Patna/IT Manager,
Computer शाखा, परिवहन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।